# न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.एम.) गुलाबपुरा

## बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

**प्रकरण सं.–253/2011**

उनवान

1 देबी पिता गोकल लौहार , निवासी परडोदास तहसील हुरडा ।

–वादी

1 नानू पिता पन्ना लौहार , निवासी परडोदास तहसील हुरडा ।
2 रामचन्द्र पिता पन्ना लौहार, निवासी परडोदास , तहसील हुरडा ।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री राजेश कुमार मेहता वकील वादी
श्री दिनेश तिवाडी वकील प्रतिवादी 2

वादपत्र अर्न्तगत धारा–88, 92 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

## –: निर्णय :–

दिनांक– 08.06.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy – Not Official

वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि मोजा परडोदास तहसील हुरडा में साबिक सेटलमेन्ट में छीतर, हजारी, गोकल के खाते में आराजी नम्बर– 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023–1026, 1024, 1027, 1025, 1028, 1029, 1030, 1225 किता 15 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा आराजी स्थित थी ।

2– उक्त आराजीयात में छीतर , हजारी व गोकल का बराबर बराबर 1/3 हिस्सा था याने प्रत्येक के हिस्से में 09 बीघा 03 बिस्वा आराजी कब्जे में चली आ रही थी व जिसका रिसेटलमेन्ट में प्रत्येक का 11 बीघा 10 बिस्वा रकबा बनता है जिसमें से हजारी का हिस्सा विवादित नही है ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

3– आपसी विभाजन के तहत रिसेटलमेन्ट में आराजी नम्बरः 127 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा जो साबिक आराजी नम्बर– 1030 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा से व 1028 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा के आंशिक हिस्से से कायम किया गया उसमें से 1/2 हिस्सा 02 बीघा 01 बिस्वा का वादी के हिस्से में व 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के खाते मे दर्ज होना चाहिए था । मगर उक्त सम्पूर्ण आराजी नम्बर– 127 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा को प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज कर दी गई जो अवैध व नाजायज है जब कि उक्त आराजी में से 1/2 हिस्से की 02 बीघा 01 बिस्वा पश्चिमी दिशा और की आराजी पर

Scanned by CamScanner

वादी का व शेष 1/2 हिस्से की पूर्वी दिशा की आराजी पर लगातार प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त व उपभोग चला आ रहा है ।

4– वादपत्र की कलम नम्बर– 2 में वर्णितानुसार वादी के खाते में रिसेटलमेन्ट में 11 बीघा 10 बिस्वा आराजी दर्ज होना चाहिए थी । जिसमें से आराजी नम्बर– 101 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, 103 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, 128 रकबा 09 बिस्वा 136 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा व 487 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा किता 5 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा ही दर्ज हुई व आराजी नम्बर– 127 में से 2 बीघा 01 बिस्वा वादी के खाते में दर्ज होने के बाद 11 बीघा 10 बिस्वा होती है। वादी के उक्त खाते में आराजी नम्बर– 486 रकबा 04 बीघा वादी की निजी खरीदशुदा है । जो उक्त आराजी के खाते में दर्ज करते हुये 13 बीघा 09 बिस्वा आराजी बनी है ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5– रिसेलटमेन्ट में प्रतिवादीगण के खाते में भी 11 बीघा 10 बिस्वा आराजी दर्ज हुई जिसमें से समय समय पर उनके द्वारा दिगर को विक्रय कर दिये जाने से शेष 4 बीघा 9 बिस्वा आराजी उनके खाते में रही है मगर उनके खाते में आराजी नम्बर– 127 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा का आधा हिस्सा दर्ज न होकर सम्पूर्ण रकबा दर्ज कर दिया इसलिये उनके खाते में माजूदा जमाबन्दी में 4 बीघा 09 बिस्वा में से 02 बीघा 1 बिस्वा रकबा ( जो वादी का है) अधिक दर्ज हो जाने से 6 बीघा 10 बिस्वा आराजी दर्ज हुई है ।

6– उपरोक्त कारणों से आरजी नम्बर– 127 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा में से पश्चिमी दिशा की और का 02 बीघा 01 बिस्वा रकबा प्रतिवादीगण के खाते से कम किया जाकर वादी के खाते में खातेदारी हक से दर्ज किया जाना आवश्यक है और इसके लिए वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ खातेदारी हक की घोषणात्मक डिकी प्राप्त करने का अधिकारी है ।

7– प्रतिवादीगण अपने खाते के बल पर आराजी नम्बर– 127 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा सम्पूर्ण आराजी को अपने नाजायज प्रलोभन के आधार पर दिगर को विक्रय /अन्तरण व उसका पंजीयन करने कराने पर उतारु है और वादी के हक हिस्से की आराजी में नाजायज तौर पर हस्तेक्षेप करते है तथा मना करने पर न मान लडाई झगडा करने पर उतारु होते है और बावजूद तकाजा उक्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा वादी के नाम पर दर्ज कराने से इन्कार है जो रवैया उन्होंने दिनांक 15.09.2011 से जारी कर रखा है जो कृत्य उनका अवैध व नाजायज होकर कानून की मंशा के विपरीत होने से इससे रुके रहने बाबत उनको बजरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक होकर न्यायहित में है वरना वादी को अपनी आराजी के हक अपभोग से वंचित रहकर ऐसी असहनीय क्षति का सामना करना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति असम्भव है ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

8 अन्त में अंकित किया गया कि आराजी मुतदाविया नम्बर– 127 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा में से पश्चिमी दिशा की और 02 बीघा 01

Scanned by CamScanner

बिस्वा आराजी को प्रतिवादीगण के खाते से कम की जाकर वादी के खाते में खातेदारी हक से दर्ज कराये जाने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावें । बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की सादीर फरमाई जावे कि वो स्वयं या अन्य द्वारा आराजी नम्बर– 127 में से पश्चिमी दिशा की 1/2 हिस्से की आराजी 02 बीघा 01 बिस्वा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने कराने व इसको दिगर को विक्रय / अन्तरित एवं उसका पंजियन करने कराने से रुके रहे । यदि दौराने वादपत्र प्रतिवादीगण इसमें सफज हो जावें तो पुनः उनके खर्चे से आज की स्थिति रेस्टोर करवाई जावें ।

9 प्रस्तुत वाद पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या– 1 बावजूद सूचना के गैरहाजिर रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 04.03.2013 को एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये । प्रतिवादी संख्या– 2 की और से दिनांक 19.11.2012 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया ।

10 प्रकरण में वादपत्र व जवाबदावा के आधार पर दिनांक 06.03.2017 को निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गईः–

| | | |
|---|---|---|
| तनकी न0–1 | आया वादपत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात साबिक सेटलमेन्ट में छीतर, हजारी, गोकल के खाते में दर्ज थी । | –वादी |
| तनकी न0–2 | आया वादग्रस्त आराजी में छीतर, हजारी, गोकल का बराबर, बराबर हिस्सा होकर प्रत्येक हिस्से में 09 बीघा 03 बिस्वा भूमि आई जिसके रि–सेटलमेन्ट में 11 बीघा 10 बिस्वा रकबा बनता है । | –वादी |
| तनकी नं0–3 | आया वादपत्र की कलम नम्बर– 04 में वर्णित कारणों से वादी आराजी नम्बर– 127 में से पश्चिम दिशा की 02 बीघा 01 बिस्वा आराजी के लिये हक घोषणा करवाने के अधिकारी है । | –वादी |
| तनकी नं0–4 | आया वादपत्र की कलम नम्बर–08 में वर्णित कारणों से वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। | –वादी |
| तनकी नं0–5 | आया आराजी नम्बर– 127 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा भूमि समपूर्ण प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जे अधिकार ही है जिसमें वादी का कोई हक हिस्सा व कब्जा नही है । | –प्रतिवादी |
| तनकी नं0–6 | अनुतोष | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

11– तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट बोरखेडा पर पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये । वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करनें से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये । अंत में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर आराजी मुतदाविया नम्बर– 127 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा में से पश्चिम दिशा की 02 बीघा 01 बिस्वा भूमि

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी के खाते में कम की जाकर वादी के नाम हक घोषणा करवाई जावें ।

12 वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि सेटलमेन्ट पूर्व जिस अनुसार बॅटवारा या हक हिस्सा तय हुआ इसके बाबत वादी को अब आक्षेप करने का कोई अधिकार नही है तथा आराजी नम्बर– 127 के बारे में भी वाद लाने का कोई अधिकार नही है । वकील प्रतिवादी ने यह भी कथन किया कि वादी ने दावें में सम्पूर्ण आराजीयात का विवरण दर्ज नही किया है जब तक सम्पूर्ण आराजीयात का विवरण नही किया जाता तब तक कोई स्थिति वादपत्र से स्पष्ट नही होती है । अन्त में कथन किया कि वादी का वाद बनावटी तथ्यों के आधार पर होने से खारीज फरमाया जावें ।

13– मैनें वकील उभयपक्ष की बहस को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से रहा है।

14– **तनकी नम्बर–1** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है । इस तनकी के सम्बन्ध में वादी के द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2019–2021 को प्रदर्श कराया गया जिस अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023 व 1026, 1024, 1027, 1025, 1028, 1029, 1030, 1225 किता 15 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा भूमि छीतर, हजारी , गोकल पिता किशना लौहार साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है। तद्नुसार इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15– **तनकी नम्बर–2 व 3** इन तनकीयों को सिद्ध करने का भार वादी पर है । तथा यह दोनो तनकीयों एक–दूसरे से सम्बन्धित होने से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है । इन तनकीयों के समर्थन में वादी के द्वारा हाल जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 मोजा बोरखेडा की प्रस्तुत की गई जिस अनुसार नानू, रामचन्द्र, पिता पन्ना लौहार के हक हिस्से में किता 4 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा भूमि तथा देबी पिता गोकल लौहार के हिस्से में किता 6 रकबा 13 बीघा 09 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड है । चूँकि वादी के द्वारा सम्वत् 2019–2021 से लेकर सम्वत् 2063 के मध्य का किसी भी प्रकार का राजस्व रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नही करवाया गया है राजस्व रिकार्ड के अभाव में यह प्रकट नही होता है कि वादी के हक हिस्से में 02 बीघा 01 बिस्वा भूमि कम दर्ज हुई हो । तद्नुसार इन दोनो तनकीयों का निर्णय वादी के विरुद्ध किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

16– **तनकी नम्बर–4** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है । इस तनकी के सम्बन्ध में वादी के द्वारा किसी भी स्तर की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही करवाई गई । जैसा कि तनकी नम्बर– 2 व 3 में विवेचन किया जा चूका है । वादी उसका कमी रकबा सिद्ध करानें में असफल रहे है । ऐसी स्थिति में आराजी मुतदाविया के खातेदार प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है । तद्नुसार इस

Scanned by CamScanner

तनकी का निर्णय वादी के विरुद्ध किया जाता है ।

17– **तनकी नम्बर–5** इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है । इस तनकी के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन उपर किया जा चूका है । पृथक से और विवेचन किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है । तद्नुसार इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है ।

18– **तनकी नम्बर–6** चूँकि इस वाद की सभी तनकीयों का निर्णय वादी के विरुद्ध हो जाने से इस वाद का निर्णय हो जाता है । तद्नुसार दावा वादी खारीज किये जाने योग्य है ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## "निर्णय"

दावा वादी खारिज किया जाता है । डिकी पर्चा मुर्तिब हों। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट बोरखेडा पर सुनाया गया।

(नन्दकिशोर शर्मा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner